आदेश पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, 1941 का नियम 129)

आदेश पत्रक सं0– .... से ....

जिला – गिरिडीह, अंचल – धनवार, विविध वाद सं0– 09 / सन–2024

केस का प्रकार – विविध वाद

आदेश का क0 सं0 और तारिख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
11.09.2024	–:आदेशः – अभिलेख उपस्थापित। यह विविध वाद अभिलेख आवेदक मो0 कुर्बान, साकिन– चुंजखो, थाना– परसन ओ0 पी0, पो0– ओरखार, जिला– गिरिडीह के द्वारा दिए गए आवेदन के आलोक में अंचल निरीक्षक, धनवार के माध्यम से राजस्व उपनिरीक्षक हल्का सं0– 05, के द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन के आधार पर संधारित किया गया है। राजस्व उपनिरीक्षक, हल्का सं0– 05, श्री कंचन कुमार ने अंचल निरीक्षक, धनवार के माध्यम से प्रतिवेदित किया है कि अचंल धनवार अन्तर्गत मौजा– चुंजखो, थाना नं0– 256 के भौतिक पंजी– II के भाग सं0– IV, पृष्ठ सं0– 144 पर महबुब मियां, पिता– लुटन मियां के नाम से जमाबंदी दर्ज है। लेकिन मौजा– चुंजखो, थाना नं0– 256 के ऑनलाइन पंजी– II के भाग सं0– IV, पृष्ठ सं0– 144 पर दो जमाबंदी रैयत 1. पांचू मियां, पिता– आसर्फी मियां, एवं 2. महबुब मियां, पिता– लुटन मियां के नाम से जमाबंदी दर्ज है। प्रतिवदेन में भौतिक पंजी– II के अनुसार ऑनलाइन पंजी– II में सुधार करने की अनुशंसा की गई है। जाँच प्रतिवेदन तथा अनुशंसा के आलोक में ऑनलाइन पंजी– II के भाग सं0– IV पृष्ठ सं0– 144 में सुधार हेतु आम इस्तेहार निर्गत कर आपत्ति की मांग की गई। निर्धारित तिथि तक किसी के द्वारा कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है। जाँच प्रतिवेदन, उपलब्ध राजस्व अभिलेख तथा आम इस्तेहार के उपरान्त कोई आपत्ति अप्राप्त रहने की स्थिति में अचंल धनवार अन्तर्गत मौजा– चुंजखो, थाना नं0– 256 के भौतिक पंजी– II के भाग सं0– IV, पृष्ठ सं0– 144 पर महबुब मियां, पिता– लुटन मियां के नाम से दर्ज जमाबंदी के अनुरूप ऑनलाइन पंजी– II के भाग सं0– IV, पृष्ठ सं0– 144 में सुधार करने का आदेश दिया जाता है। राजस्व उपनिरीक्षक, हल्का सं0– 05, श्री कंचन कुमार और अंचल निरीक्षक, धनवार को निदेश दिया जाता है कि आदेश के अनुरूप तत्संबंधी सुधार करे। लेखापित एवं संशोधित। **अंचल अधिकारी,** **धनवार।**	**अंचल अधिकारी,** **धनवार।**

Digitally signed by Gulzar Anjum
Date: 2024.09.11 18:04:35 +05:30
Location: 192.168.137.1